न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्र सिंह R.A.S.

वाद पत्र संख्या : 489/2018 — निर्णय दिनांकः– 14.08.2025

अनुवानी

इकबाल — बनाम — उमरदीन आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर टी एक्ट व सपठित धारा 47 (1) सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. श्री नन्दराम राहड़ अभिभाषक प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

आदेश प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 229 आर टी एक्ट व सपठित धारा 47 (1) सी.पी.सी.** का पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनुवानी वाद संख्या 489/2018 में श्रीमान् न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2025 में कतिपय विधिक, प्रक्रियागत व तकनीकी त्रुटियां रह जाने से उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना आवश्यक है। आदेशिका दिनांक 31.07.2025 के अनुसार प्रस्तुत वाद साक्ष्यवादी में विचाराधीन था परन्तु दिनांक 04.08.2025 की पेशी में बिना साक्ष्यवादी, साक्ष्य प्रतिवादी व बिना बहस के पत्रावली सीधे निर्णय में नियत करते हुए दिनांक 14.08.2025 को तनकीवार निर्णय फरमा दिया गया जो कि सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। वादी को दावा में अपने लिखित कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को अपने साक्ष्य व बयानों से प्रदर्श अंकित करवा कर प्रमाणित करवाना होता है परन्तु इस दावा में बिना साक्ष्यवादी पेश किये ही वादी के पक्ष में कायम की गई तनकियात् को प्रमाणित मान लिया गया एवं दावा वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया गया जो कि विधिक त्रुटि होने से निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2025 को अपास्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दावा के निर्णय व डिक्री में मृत व्यक्ति अब्दुल गफूर के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार किसी भी मृत व्यक्ति के खिलाफ या पक्ष में पारित कोई भी निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य माना जाता है। उक्त अनुवानी दावा के निर्णय व डिक्री में स्व अलमूदीन की दूसरी पत्नी सुवटी के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त करने का भी आदेश पारित किया गया है जबकि दावा दायर करने के समय पर सुवटी वादगत कृषि भूमि की सह खातेदार दर्ज होने के बावजूद उसे पक्षकार दावा नहीं बनाया गया एवं उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान को भी दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा सुवटी व उसके विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये [illegible] माननीय न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया [illegible] है। [illegible] कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित समस्त [illegible] गया है जिससे दावा में आवश्यक पक्षकारों का अभाव है। साथ ही निर्णय व डिक्री में यह भी [illegible] नहीं है कि किस–किस खातेदार का नाम हटाया जाना है [illegible] किस खातेदार का [illegible] हिस्सा कम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

किया जाना है। इसलिए आवश्यक पक्षकारों के अभाव एवं सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। दावा दायर करने के पूर्व व दौराने विचारण दावा कतिपय खातेदारों द्वारा अपने–अपने हिस्सों की कृषि भूमियों का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र कर दिया गया है तथा वर्तमान में क्रेता खातेदार के रूप में जमाबन्दी में दर्ज हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2025 में उक्त विक्रय पत्रों को एवं क्रेता खातेदारों के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया गया है। वादी ने अपने दावा में भी उक्त विक्रय पत्रों को शून्य घोषित करने का कोई अनुतोष नहीं मांगा है। ऐसी स्थिति में पंजीकृत विक्रय पत्रों को शून्य घोषित किये बिना या निरस्त कराये बिना पारित यह निर्णय व डिक्री अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाने योग्य है। इसलिए उक्त निर्णय एकतरफा एवं न्याय की मन्शा के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे दावा मे तनकी सं. 1 ता 11 का जो निश्कर्श किया गया है उसमें वादी का दस्तावेजी साक्ष्य नही होने के बावजूद भी बिना दस्तावेज प्रदर्श किये जो निर्णय तनकीयात का निष्कर्ष दिया गया है वह पत्रावली पर आये साक्ष्यो के विपरित होने व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के तथ्यो के बिना ध्यान दिये वगैर जो न्यायालय द्वारा निष्कर्ष क्यास के आधार पर परित किये गये है तनकीयो का निर्णय अपने आप में विधि विरूद्व व कानूनी प्रतिवादित सिद्वान्तो के विपरीत होने से निर्णय व डिक्री दिनाक 14–08–2025 अपास्त योग्य है।

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली पेशी में ली जाकर पत्रावली मय दस्तावेजात, अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नवीन नकल जमाबन्दी दिनांक 09.09.2025 एवं न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया। दिनांक 04.08.2025 को प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया जिस पर बहस सुनी जाकर दस्तावेजों के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया एवं पत्रावली निर्णय में अंकित की गई निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि निर्णय मृत व्यक्ति अब्दुलगफूर के विधिक वारिसान के पक्ष में व मृतका सुवटीदेवी के विरूद्व पारित किया गया है जो कि विधिक त्रुटि रही है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नवीन नकल जमाबन्दी दिनांक 09.09.2025 एवं दावा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी ने अपने दावा में समस्त सह खातेदारों व हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे उनका सुनवाई का अधिकार बाधित हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि नवीतम जमाबंदी के अनुसार नरेन्द्र कुमार मेघाराम, रूकमणी, सुमित्रा, सुलोचना, हनुमान प्रसाद आदि को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार आवश्यक पक्षकारों को सुनाजाना एवं उनको समुचित जवाब देही साक्ष्य सबुत का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय से यह दर्शित भी होना चाहिए कि न्याय हुआ है। न्यायिक सिद्धांतों (जैसे CPC -- सिविल प्रक्रिया संहिता) और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 में समीक्षा के लिए शक्ति प्रदान करता है कुछ सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं जैसे यदि ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज मौजूद हो, जो निर्णय के समय उपलब्ध नहीं था जो बाद में पेश किया गया है तथा जिससे निर्णय प्रभावित हो सकता है या यदि निर्णय में कोई स्पष्ट या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि है जैसे गणना की गलती, तथ्य की चूक, [illegible] गलत व्याख्या तो उसकी समीक्षा की जा सकती है या यदि कोई ऐसा कारण [illegible] न्याय की दृष्टि से समीक्षा के योग्य हो। चूंकि प्रार्थी की ओर से [illegible] सुवटी देवी के स्थान पर अन्य काश्तकार है जिनका [illegible] उनके हितों को सुने जाने को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र [illegible]कार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:35:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Ah

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत दावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2025 में कतिपय प्रकियागत/विधिक/तकनीकी त्रुटियां सहवन से रह गई हैं जिनको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित एवं अति आवश्यक है तथा दावा में समस्त सह खातेदारों एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों को मध्यनजर रखते हुए दावा में न्यायालय हाजा द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2025 को अपास्त किया जाना यह न्यायालय उचित मानता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 229 आर टी एक्ट व सपठित धारा 47 (1) सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 489/2018 अनुवानी इकबाल बनाम उमरदीन आदि में न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2025 को अपास्त किया जाकर दावा को पुनः वाजवे नम्बर पर लेकर पत्रावली में नवीन पक्षकारों को संयोजित किये जाने व साक्ष्यवादी में नियत करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बिजेन्द्र सिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:35:14 IST
Reason: SelfAttested